FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

श्री जयसिंह, ग्राम लौटोती, तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जैतारण

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 114 / 2019

R.C.M.S. No. --2019/00 302

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/10/19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जैतारण ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 23/10/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	1579-80 10/10/19
23/10/19	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) RTI Act 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी तह० जैतारण से वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाय। इस न्यायालय द्वारा लिखा जाने पर तह० जैतारण ने अवगत कराया कि अपीलांट को वांछित सूचना उनके पत्रांक रा० का० / सू०अ० / 2019 / 4751 दि० 19-9-19 के जरिए उपलब्ध करवा दी गई थी। प्रति संलग्न प्रेषित कर इस अपील का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है। प्रस्तुत अपील के संदर्भ में वांछित सूचना अपीलांट को उपलब्ध करा दिए जाने से इस अपील के संदर्भ में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाने से अपील अपीलांट इसी स्तर पर drop की जाती है। पत्रावली बाद फैसला की जाकर नम्बर से कम हो। जिला कलेक्टर, पाली	